वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018 - 2019

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

विषय सूची / CONTENTS

क्रं.स. / No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ संख्या / PAGE NO.
1.	निदेशक मंडल **Board of Directors**	01 67
2.	निदेशकों की रिपोर्ट **Director's Report**	03 69
3.	स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट **Independent Auditor's Report**	25 91
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां **Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)**	35 101
5.	सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट **Secretarial Audit Report**	39 105
6.	वार्षिक लेखे 2018–19 **Annual Accounts 2018-19**	45 111
7.	कॉरपोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां **Corporate Information & Significant Accounting Policies**	62 128

निदेशक मंडल

श्री के.डी. त्रिपाठी	अध्यक्ष	(30.06.2018 तक)
डॉ० एम.एम. कुट्टी	अध्यक्ष	(18.07.2018 से)
श्री राजीव बंसल	निदेशक	(18.08.2017 से)
श्री संजय सुधीर	निदेशक	(21.02.2019 तक)
श्री आशीष चटर्जी	निदेशक	(14.11.2018 तक)
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	निदेशक	(14.11.2018 से)
श्री बी.एन. रेड्डी	निदेशक	(09.04.2019 से)
श्री एच.पी.एस. आहुजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(02.06.2017 से)
श्रीमती किरन वासुदेवा	निदेशक	(31.08.2018 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.पी.एस. आहुजा

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स गोयल एडं गोयल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594661, फैक्स : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापट्टनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005
फोन : 0891–2868000

मंगलौर परियोजना कार्यालय
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142, फोन : 0824–2881810

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक
फोन : 0820–2556817

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 15वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखा–परीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	विवरण	आंकड़े लाखों में	
		31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
(क)	1 अप्रैल, के अनुसार प्रगतिधीन कार्य का प्रारंभिक शेष	1,55,373.12	1,52,106.27
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन पूर्व व्यय	9,264.22	5,266.85
(ग)	अचल परिसंपत्तियों (पीपीई) में निवल वृद्धि	1,63,781.79	65.32
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	12,919.37	13,597.40
(ड.)	निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	(1,041.66)	724.76
(च)	संचित हानि/लाभ	(23,321.65)	(-)16,595.39
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**3,16,975.19**	**1,55,165.21**
	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}	**12,919.37**	**13,597.40**
	(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)	13,089.82	13,617.12
	(ii) गैर–वर्तमान देयताएं	170.45	19.68
	निवल वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}	**(1,041.66)**	**724.76**
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	11,483.12	4,996.60
	(ii) वर्तमान देयताएं	12,524.77	4,271.84

कार्य–निष्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल के भण्डारणों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किये जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किये गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। रणनीतिक भंडारण स्थलों के निर्माण की पूंजी लागत को मूल रूप से सितंबर 2005 की कीमतों के आधार पर ₹2,397 करोड़ तक अनुमानित किया गया था। विशाखापट्टनम की संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) जून, 2011 में प्राप्त किया गया था तथा तत्पश्चात् फरवरी 2015 में पुनः प्राप्त

किया गया था। मंगलौर और पादुर के लिए आरसीई को नवंबर, 2013 में मंजूरी प्रदान की गई थी।

तीनों स्थलों के लिए, आरसीई इस प्रकार हैं: विशाखापट्टनम – ₹1,178.35 करोड़; मंगलौर ₹1,227 करोड़ और पादुर – ₹1,693 करोड़। इस प्रकार, परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत ₹4098.35 करोड़ होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, विशाखापट्टनम की पूंजीगत लागत ओआईडीबी में उपलब्ध मौजूदा निधियों से पूरा किया जाएगा, 0.3 एमएमटी को छोडकर जिसे अनुपातिक लागत आवंटन आधार पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पूर्ण किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि इन सामरिक भंडारणों की प्रचालन और रखरखाव लागत भारत सरकार द्वारा की जाएगी। भारत सरकार द्वारा 2012–17 की 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेल भंडारण की लागत के लिए ₹4,948 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन निधियों में से, विशाखापट्टनम का एक 1.03 एमएमटी कम्पार्टमेंट और मैंगलोर कैवर्न का एक 0.75 एमएमटी कम्पार्टमेंट भरा गया है।

आपकी कंपनी द्वारा तीन स्थलों की कैवर्न परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कमीशन किया है, जो देश की एसपीआर परियोजनाओं के प्रथम चरण के सफलता पूर्वक पूर्णता का प्रतीक है।

सभी तीनों स्थलों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

एसपीआर के द्वितीय चरण कार्यक्रम के तहत, सैद्धांतिक रूप से 6.5 एमएमटी पेट्रोलियम भंडारणों का निर्माण और कच्चे तेल की लोडिंग/अनलोडिंग से संबंधित व संबंधित सुविधा स्थलों के लिए भूमिगत असम्पीडित चट्टानी कैवर्नों मे स्टोर करने के लिए चांदीखोल, ओडिशा (4.0 एमएमटी) और पादुर II, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) के कार्य को अनुमोदित किया गया है। यह सैद्धांतिक अनुमोदन, भारत सरकार के बजटीय सहयोग को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को आरंभ करने से संबंधित है।

1. विशाखापट्टनम (भण्डारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

बोर्ड के सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापट्टनम कैवर्न का कमीशन वर्ष 2015 में किया गया था। इस स्थल में दो कम्पार्टमेंट कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3एमएमटी) हैं। कैवर्न ए

विशाखापट्टनम संयंत्र का रात्रिकालीन दृश्य

सामरिक कच्चे तेल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल द्वारा आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी को लिया है। इसे एचपीसीएल द्वारा विशाखापट्टनम स्थित अपने रिफाइनरी प्रचालन के लिए नियमित रूप से उपयोग मे लाया जा रहा है।

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता :1.5 एमएमटी)

बोर्ड को सदस्यों को यह भी सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मंगलौर कैवर्न के दोनों कम्पार्टमेंटों को चालू कर दिया गया है। पहले कम्पार्टमेंट अर्थात कैवर्न बी को अक्टूबर 2016 में कमीशन किया गया था, इसे दिसंबर 2016 माह में पूर्ण रूप से 50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट कच्चे तेल के तीन वीएलसीसी पार्सल के द्वारा भर दिया गया था।

21 मई 2018 को आईएसपीआरएल मंगलौर में एडीएनओसी की ओर से पहली क्रूड ऑयल की खेप प्राप्त करते हुए।

मई 2018 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान कैवर्न ए को भी एडीएनओसी की ओर से प्राप्त दास क्रूड ऑयल के तीन पार्सल से भर दिया गया है। एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच फरवरी 2018 में हुए समझौते के तहत एडीएनओसी द्वारा इस कैवर्न को भरने के लिए कच्चा तेल प्रदान किया है।

इस वर्ष के दौरान, लगभग 0.625 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को मैंगलोर कैवर्न – बी से पादुर कैवर्न परियोजना की ओर स्थानांतरित किया गया था और लगभग 0.179 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) की खरीद की गई और इसे मंगलौर की कैवर्न – बी में भरा गया।

0.179 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को एमआरपीएल के माध्यम से ₹534 करोड़ की समतुल्य राशि से प्राप्त किया गया, यह कार्य क्रूड ऑयल की भराई के लिए आवंटित शेष राशि के उपयोग द्वारा किया गया था।

मंगलौर प्लांट का परिदृश्य

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

बोर्ड द्वारा सदस्यों को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि मंगलौर की कैवर्न–बी में उपलब्ध कच्चे तेल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को हस्तांतरित करके दिसंबर 2018 में पादुर कैवर्न परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।

पादुर सुविधा में प्रत्येक 0.625 एमएमटी के चार कम्पार्टमेंट हैं अर्थात कैवर्न ए, कैवर्न बी, कैवर्न सी व कैवर्न डी जिनकी कुल क्षमता 2.5 एमएमटी है। इन सभी चारों कम्पार्टमेंटों को आंशिक रूप से कच्चे तेल से भरा गया है।

वर्तमान में कच्चे तेल की आंशिक मात्रा को इस सुविधा के सभी चार कम्पार्टमेंटों में स्थानांतरित कर सुविधा को कमीशन कर दिया गया है। अंततः, कच्चे तेल को एक ही कम्पार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पादुर के शेष तीन कम्पार्टमेटों को एक उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से भरना प्रस्तावित किया गया है, जिससे उपलब्ध भंडारण स्थल का प्रभावी वाणिज्यिक और सामरिक उपयोग हो सके। पादुर की प्रत्येक दो 0.625

पादुर सुविधा का फ्लेयर क्षेत्र

एमएमटी कैवर्नों को भरने के लिए एडीएनओसी के साथ 11 नवंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक निश्चित अनुबंध, एडीएनओसी के परामर्श से तैयार होने/अंतिम रूप प्रदान करने के कार्यान्वयनाधीन है।

4. सामरिक भण्डार कार्यक्रम का चरण–II

एसपीआर के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के तहत, आईएसपीआरएल 6.5 एमएमटी पेट्रोलियम भंडारणों व संबंधित सुविधा स्थलों के लिए भूमिगत असम्पीडित चट्टानी कैवर्नओं को चांदीखोल, ओडिशा (4.0 एमएमटी) और पादुर II,

माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली में आईएसपीआरएल रोड़ शो कार्यक्रम का उद्घाटन।

आईएसपीआरएल में पीपीपी के लिए रोड शो प्रगति पर

कर्नाटक (2.5 एमएमटी) में निर्माण कार्य का इरादा रखता है। इसके साथ साथ आईएसपीआरएल द्वारा मंगलौर, पादुर और चांदीखोल में अपने मौजूदा और आगामी स्थलों को समर्पित करने के लिए सिंगल प्वाईंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा का निर्माण करने की भी योजना की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चांदीखोल, ओडिशा (4 एमएमटी) और पादुर, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) नामक दो स्थानों पर दो एसपीआर के लिए एक समर्पित एसपीएम को शामिल करते हुए 6.5 एमएमटी सामरिक पेट्रोलियम भंण्डारण स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह 'सैद्धांतिक अनुमोदन', भारत सरकार के बजटीय सहयोग को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को आरंभ करने से संबंधित है। आईएसपीआरएल द्वारा इन एसपीआरज़ के निर्माण के लिए वित्तीय निवेशक/कारोबारी/घरेलू व विदेशी तेल परिशोधक व विपणन कंपनियां/बड़ी निर्माण कंपनियां/संप्रभु पूँजीगत् निधियों की भांति के संभावित भागीदार विकल्पों की खोज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत की जा रही है। यह चरण II के तहत विकसित परिकल्पित पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं के निर्माण कार्य, भराई और प्रचालन हेतु इन भागीदारों के साथ एक रियायती समझौते को करने को नियोजित कर रहा है।

आईएसपीआरएल द्वारा अभिच्छुक तेल और बुनियादी ढांचायुक्त कंपनियों के साथ एक उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार करने के लिए एक कार्यसम्पादक सलाहकार मैसर्स डिलॉइट को कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। परामर्श प्रक्रिया को निर्वाहित करने के मार्गदर्शक कार्यक्रमों और वन टू वन निरंतर वार्ताओं को नई दिल्ली (17 –18 अक्टूबर 18), सिंगापुर (26–27 अक्टूबर–18) और लंदन (29–30 अक्टूबर 18) में आयोजित किया गया। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली में भावी पीपीपी निवेशकों के लिए आईएसपीआरएल रोड़ शो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सलाहकार द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गईं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत सरकार और नीति आयोग से अपेक्षित समर्थन के साथ साथ पीपीपीएसी की सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समेकित किया जा रहा है।

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित को अंतरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए घाटे को 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2019 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत अथवा नवीनिकृत नहीं किया है और तदानुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति गठित की है। लेखा परीक्षा समिति में 31 मार्च 2019 तक निम्नलिखित निदेशक शमिल हैं।

(i) श्री राजीव बंसल : अध्यक्ष
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक शमिल किए गए।

(i) श्री संजय सुधीर* : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

*श्री सुंजय सुधीर निदेशक के पद पर दिनांक 21.02.2019 तक थे। बोर्ड ने 06.05.2019 को एनआरसी को पुनर्गठित किया और श्री बी.ए. रेडी, निदेशक, आईएसपीआरएल को अध्यक्ष एन आर सी नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है। बोर्ड ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कमेटी गठित की है, जिसमें वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक शमिल किए हैं।

(i) श्री संजय सुधीर* : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

*श्री सुंजय सुधीर निदेशक के पद पर दिनांक 21.02.2019 तक थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण फार्म सं. एमजीटी–9 में **अनुलग्नक–क** के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1) 04 मई, 2018
2) 18 जुलाई, 2018
3) 14 नवम्बर, 2018
4) 26 फरवरी, 2019

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 18–19 के दौरान कंपनी के बोर्ड मे कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम प्रबंधन कंपनी की सतत् सफलता हेतु महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी प्रचालनों से संबद्ध जोखिमों की पहचान और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से संबद्ध प्रमुख जोखिम खनिज तेल प्राप्ति तथा भंडारण और वितरण से संबंधित है। इन जोखिमों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपना कर तथा पर्याप्त बीमा कवर लेकर न्यून किया जाता है।

प्रमुख प्रबंधक कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक निम्नलिखित थे :

क) मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक – श्री एच.पी.एस. आहुजा

ख) मुख्य वित्त अधिकारी – श्री गौतम सेन

ग) कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार

पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल बोर्ड में मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा मनोनीत अधिकारी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदाधिकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक और कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हो।

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेशों के ब्यौरे

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहभागी कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहभागी कंपनी नही है।

लागत लेखा–परीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को लागत लेखाकार द्वारा आयोजित अपनी लागत के लेखा–परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

लेखा–परीक्षक

<u>सांविधिक लेखा–परीक्षा :</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मैसर्स गोयल एडं गोयल (डीई0577), सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है **(अनुलग्नक–ख)**। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के तहत आयोजित पूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर सी एंड ए जी ने कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत एक अवलोकन किया है। सी एंड ए जी का अवलोकन प्रबंधन के उत्तर के साथ

अनुलग्नक–ग पर संलग्न है।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा :

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स एस.एन. अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी संख्या – 3581), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु सचिवालयीन लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखा–परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ (**अनुलग्नक–घ**) के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण अर्हता शामिल नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर केवर्नों को चालू कर दिया है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल ₹32.11 लाख की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रक

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास वित्तीय वक्तव्यों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक सभी मामलों और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013 में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। कंपनी ने अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के संविधान से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को अधिनियम के तहत कोई शिकायत नहीं मिली।

बोर्ड मूल्यांकन

बोर्ड और उसकी समितियों के व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया था।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना की रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का ब्यौरा

वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा कोई ऋण नहीं दिया और न कोई निवेश किया गया है। आईएसपीआरएल ने संबंधित प्रवेश कर मामले के संबंध में उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मंगलौर को

31 मार्च, 2019 को ₹38.43 लाख की बैंक गारंटी दी है।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी भागीदारी और मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक आईएसपीआरएल, मु.वि.अ. आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे। संबंधित पक्षों के साथ ये संव्यवहार व्यापार के समान्य सचालन के दौरान किए गए अतिरिक्त संसाधनों के विस्तार पर हैं एवं सामग्री के आधार पर नहीं है।

सचिवालयी मानकों का अनुपालन

इंस्टीटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीस ऑफ इड़िया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति कम्पनी की वेबसाईट www.isprlindia.com पर रखी जायेगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 उप–धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत कंपनी कर निदेशक मंडल अपने सर्वोतम ज्ञान और योग्यता के साथ निर्दिष्ट और पुष्टि करते हैं:

(क) वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय एवं अनुमान बनाए हैं जो उचित और समझदार हैं ताकि 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस वर्ष के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे "अनवरत संबंध" के आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए थे और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2019 के अनुसार चार अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. डॉ. एम.एम. कुट्टी (डीआईएन 01943083), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष
2. श्री राजीव बंसल (डीआईएन 00245460), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओपीएडंएनजी– निदेशक

3. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन 07464700) – सचिव, ओआईडीबी/निदेशक
4. श्री एच.पी.एस आहुजा (डीआईएन 07793886), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
5. श्रीमती किरन वासुदेवा (डीआईएन 06419718), निदेशक (जीपी) एमओपीएडंएनजी – निदेशक

01 अप्रैल, 2018 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री के.डी. त्रिपाठी (डीआईएन 07239755), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष आईएसपीआरएल (30.06.2018 तक)
2. डॉ. एम.एम. कुट्टी (डीआईएन 01943083), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष आईएसपीआरएल (18.07.2018 से नियुक्ति)
3. श्रीमती किरन वासुदेवा (डीआईएन 06419718), निदेशक (जीपी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (31.08.2018 से 31.05.2019 तक)
4. श्री आशीष चटर्जी (डीआईएन 07688473), सयुंक्त सचिव (जीपी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (14.11.2018 तक)
5. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन 07464700) – सचिव, ओआईडीबी/निदेशक आईएसपीआरएल (14.11.2018 से नियुक्ति)
6. श्री संजय सुधीर (डीआईएन 07396936), सयुंक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (21.02.2019 तक)
7. श्री बी.एन. रेड्डी (डीआईएन 08389048), ओएसडी (आईसी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (09.04.2019 से नियुक्ति)

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
(डीआईएन 08389048)

हस्ता/–
(एच.पी.एस. आहुजा)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 07793886)

दिनांक : 04.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अनुलग्नक–I)

बोर्ड की समितियों और बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा और निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या

लेखा–परीक्षा समिति :

लेखा–परीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो बैठकें हुई थी। ये बैठकें 1 जून, 2018 और 21 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी। लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	2
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एनआरसी की एक बैठक हुई थी। ये बैठक 28 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी। एनआरसी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री संजय सुधीर	अध्यक्ष	1
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	1

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है –

(i) 04/05/2018
(ii) 18/07/2018
(iii) 14/11/2018
(iv) 26/02/2019

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या
1	श्री के.डी. त्रिपाठी (30.06.2018 तक)	अध्यक्ष	1
2	डॉ. एम.एम. कुट्टी (18.07.2018 से नियुक्ति)	अध्यक्ष	3
3	श्री राजीव बंसल	निदेशक	3
4	श्री संजय सुधीर (21.02.2019 तक)	निदेशक	1
5	श्री आशीष चटर्जी (14.11.2018 तक)	निदेशक	3
6	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (14.11.2018 से नियुक्ति)	निदेशक	2
7	श्री एच.पी.एस आहुजा	सीईओ एवं एमडी	4
8	श्रीमती किरन वासुदेवा (31.08.2018 से नियुक्ति)	निदेशक	1

अनुलग्नक–क

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

(i) सीआईएन : U63023DL2004GOI126973

(ii) पंजीकरण तिथि–16 जून, 2004

(iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001, टेलीफोन : 0120–2594641 फैक्स : 0120–2594643

(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

(vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. कंपनी के क्रियाकलाप

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण कैवर्नों का निर्माण, कैवर्नों का प्रचालन और कैवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	खनिज तेल कैवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--

III. धारक कंपनी के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	पैन नम्बर	धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	AAAJO0032A	धारक	100	2(46)

IV. शेयर धारित पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

(i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) कारपोरेट निकाय	शून्य	368.11	368.11	100	374.84	शून्य	374.84	100	1.83
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क) (1) :–	शून्य	**368.11**	**368.11**	**100**	**374.84**	शून्य	**374.84**	**100**	**1.83**
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई–व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) अन्य – व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क) (2) :–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)	- शून्य	- **368.11**	- **368.11**	- **100**	- **374.84**	- शून्य	- **374.84**	- **100**	- **1.83**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख) (1) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ₹1 लाख तक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ₹1 लाख से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख) (2) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड़ (क+ख+ग)	शून्य	368.11	368.11	100%	374.84	शून्य	374.84	100%	1.83

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधरिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम*	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के % परिवर्तन
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड							
	कुल	**368.11**	**100**	शून्य	**374.84**	**100**	शून्य	**1.83**

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक हैं, जो ओआईडीबी के नामिति हैं, प्रत्येक ने एक शेयर धारित किया है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) श्री गणेश चन्द्र डोभाल
(2) श्री राजेश कुमार सैनी
(3) श्री गिरीश चन्द्र
(4) श्रीमती ज्योति शर्मा
(5) श्री एम.एस. चौहान
(6) श्री राजेश मिश्रा

(iii) प्रर्वतकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	**368.11**	100	**368.11**	100
	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान शेयरों का आवंटन **i) 04/05/2018** 43,10,000 शेयरों **ii) 28/06/2018** 1,00,00,000 शेयरों **iii) 26/02/2019** 5,30,00,000 शेयरों	वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेयरों का आवंटन 6.73 करोड़			
	वर्ष के अंत में	**374.84**	100	**374.84**	100

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रर्वतकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी का कारण निर्दिष्ट करते हुए (जैसे की आवंटन / अतंरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत ब्याज किंतु भुगतान हेतु देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण (लाख रूपये में)	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी / डब्ल्यूटीडी का नाम	कुल राशि (₹ लाख में)
		श्री एच.पी.एस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	₹ 71.26 (क+ख+ग)	₹ 71.26 (क+ख+ग)
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (क)	₹ 71.26	₹ 71.26
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 154.31	₹ 154.31

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम		कुल राशि (₹ लाख में)
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (ख) = (1+2)	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)	₹ 71.26		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 154.31		

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			(₹ लाख में)
		सीईओ	सीएफओ*	कंपनी सचिव*	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिक में क्रम सं. ए में कवर किया जा चुका है।	₹ 70.79 (क+ख+ग)	₹ 50.54 (क+ख+ग)	₹ 121.33
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल		**₹ 70.79**	**₹ 50.54**	**₹ 121.33**

***अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर**

VII. जुर्माना / दंड / शमन शुल्क का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना / दंड / शमन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ख. निदेशक					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिर्जव्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के तुलन पत्र, लाभ और घाटे का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण और नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मतानुसार व हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार से प्रदान की गई है जैसी कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में अपेक्षित है और यह दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के मामलों के लिए संशोधित (''इंड एएस'') किए गए कंपनी नियम (भारतीय लेखांकन मानक) 2015 और भारत में सामान्यता स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के संदर्भ में हानि, इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष के लिए समाप्त नकद प्रवाह का एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

विचारों का आधार

हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया। हमारे दायित्व उन मानकों के तहत लेखा परीक्षा के लिए हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण संबंधी खंड के पश्चात लेखा परीक्षक के दायित्व में उल्लिखित किए गए हैं।

हम उन प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके तहत निर्मित नियमों के तहत, वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार प्रासंगिक हैं, तथा हमने इन अनिवार्यताओं और आचार संहिता के अनुसार, अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वाह किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमें अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रबंधन के दायित्व और वे जो एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संचालन व्यवस्था से प्रभारित हैं

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) के अंतर्गत उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और इंड एएस के अनुसार कंपनी के नकद प्रवाह और इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित सामान्यंता भारत में स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के प्रति एक सत्यनिष्ठ विवरण प्रदान करते हैं। इस दायित्व् के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को

रोकने और ज्ञात करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णयों और अनुमानों का निर्धारण करना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों, जो उन वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों, और वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त होते हों, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, भी शामिल हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन, कंपनी को संस्थान के रूप में चालू रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू प्रकटीकरण, चालू कंपनी से संबंधित मामले तथा चालू कंपनी से संबंधित लेखांकन के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने अथवा प्रचालनों को स्थगित करने के लिए अभिच्छित है अथवा उसके पास ऐसा करने से संदर्भित किसी प्रकार का वास्तविक विकल्प नहीं है परंतु उसे यह करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से संदर्भित लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य, इस संदर्भ में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जारी करने के लिए, जिसमें हमारा मत भी शामिल है वे पूर्णत्या वास्तविक रूप से मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे यह कथन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। उचित आश्वासन का तात्पर्य उच्च स्तरीय आश्वासन से है, परंतु यह एक गारंटी नहीं है कि एसएज़ के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण द्वारा इसमें सम्मिलित वास्तविक मिथ्यौकथन सदैव ज्ञात हो पाएगा, जो भी उसमें सम्मिलित हो। यह मिथ्याकथन, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें वास्तविक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से अथवा कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित हों। इस लेखा परीक्षण रिपोर्ट के **''अनुलग्नक क''** का अवलोकन करें।

अन्य कानूनी और विनियामक अनिवार्यताओं से संबंधित रिपोर्ट

1 भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की अनिवार्यता के संदर्भ के आदेश में पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण को लागू सीमा तक हमने **''अनुलग्नक ख''** में संलग्न किया है।

2 अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, जैसा भी अनिवार्य है, हम सूचित करते हैं किः

(क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग व प्राप्त की हैं, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा–परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारी मतानुसार, उक्त वार्षिक वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड़) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में **'अनुलग्नक–ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट के संदर्भ लें।

(छ) संशोधित किए गए अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्कृष्ठा जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी किया गया भुगतान अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षण व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्कृष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसारः

1 कंपनी द्वारा अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थितियों पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

2 कंपनी के व्युत्पन्न अनुबंधों सहित किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए किसी भी प्रकार के भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियां हों।

3 कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने योग्य किसी प्रकार की राशि नहीं थी।

अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत सी एंड एजी के निर्देशानुसार, हम संसूचित करते हैं किः

क कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की व्यवस्था स्थापित है।

ख कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता, किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार / ऋणों / ब्याज आदि के लिए मौजूदा ऋण अथवा छूट के मामलों का समापन / हटाए जाने से संबंधित किसी प्रकार के कारण का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

ग केंद्रीय / राज्य संबंधी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशियों को उनकी शर्तों के अनुसार उचित प्रकार से लेखाबद्ध / उपयोग किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–क"

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों से संबंधित रिपोर्ट

एसएज़ के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्याकथनों के जोखिमों को पहचाननें और उनका आकलन करने, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं और निष्पादित करते हैं, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के वास्तविक मिथ्याकथन को ज्ञात न कर सकने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुए जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अत्याधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों का संचालन करने की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन पर आधारित चालू संस्थालन के प्रबंधन संबंधी उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर, क्या किसी भी प्रकार की वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित है जो कंपनी को एक चालू संस्थान के रूप में जारी रखने के लिए उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह प्रकट कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी प्रकार की वास्तिविक अनिश्चितता स्थित है अथवा यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए उस स्थिति में हमें वित्तीय विवरणों में अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से कंपनी का एक चालू कंपनी बने रहना स्थगित हो सकता है।
- खुलासों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और वास्तविक मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाक्रमों को इस प्रकार से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- हम, संचालन से प्रभारित अन्य मामलों के संदर्भ में किसी भी प्रकार से आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण, जिन्हें हमने अपने लेखा परीक्षण के दौरान अभिज्ञात किया है सहित लेखापरीक्षा के लिए योजनाबद्ध गुंजाइश और समयावधि और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के संदर्भ में सूचित करते हैं।

- हम स्वायत्तता से संदर्भित प्रासंगिक नैतिकतापूर्ण अनिवार्यताओं का अपने द्वारा अनुपालन करने के संदर्भ में संचालन द्वारा प्रभारित सहित एक विवरण भी प्रस्तुत करते हैं, उन सभी संबंधों व अन्य मुद्दों के बारे में सूचित करते हैं जिन्हें हमारी स्वायत्तता को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए।
- संचालन द्वारा प्रभारित सहित संप्रेषित मुद्दों से, हम उन मामलों को सुनिर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकते हैं अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सूचनाओं द्वारा सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिकूल परिणाम यथोचित रूप से अपेक्षित हो जाएंगे।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक–ख''

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक बी के संदर्भ में, हम निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं:

i क) कंपनी के संपूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति शामिल हैं।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी विचारानुसार, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की वास्तविक विसंगतियां नहीं प्राप्त हुईं।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के नामांकन को कंपनी के नाम पर स्थापित किया गया है, केवल पादुर में 3.09 एकड़ भूमि के अतिरिक्त जिसका विलेख नामांकन कार्य निष्पादन लंबित है।

ii प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र सत्यापनकर्ताओं के माध्यम से उचित अंतराल पर विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में, भारत सरकार और एडीएनओसी की ओर से न्यास धारित कच्चे तेल की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, क्रूड की प्रकृति और स्थान के संबंध में, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

iii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनी/फर्मों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी प्रकार का ऋण, गारंटी, प्रतिभूति अथवा किसी प्रकार का निवेश नहीं किया है, जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता हो।

v हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा धारा 73 से 76 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सम्मिलित जनसामान्य की ओर से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप–खंड (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए निर्धारित नहीं किया है।

vii क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों और अभिलेखों की बहियों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी निर्विवाद वैधानिक देय राशि जिनमें आयकर, मूल्य वर्धित कर, कार्य अनुबंध कर, सेवा कर, उपकर, जीएसटी और किसी भी अन्य संवैधानिक देय राशि को उपयुक्त प्राधिकरण में जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, आयकर, प्रवेश–कर और रॉयल्टी के निम्नलिखित बकाये विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किए गए हैं।

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	255.32	निधारण वर्ष 2013–14	सीआईटी (ए), दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	234.24	निधारण वर्ष 2016–17	सीआईटी (ए), दिल्ली
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	44.80	वित्तीय वर्ष 2010–11	कर्नाटक उच्च न्यायालय
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	137.65	वित्तीय वर्ष 2011–12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	93.32	वित्तीय वर्ष 2012–13	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण, बंगलौर
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली 1996	रायल्टी	11794.95	31.03.2018 तक	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय आंध्र प्रदेश

viii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा सरकार के ऋण अथवा उधार की अदायगी में चूक नहीं की गई है। कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया है।

ix कंपनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा भावी सार्वजनिक पेशकश (देनदारी दस्तावेज़ सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की धनराशि को नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए चूककर्ता के रूप में पैरा 3 का अनुच्छेद (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

x हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी अथवा उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को देखा अथवा सूचित नहीं पाया गया है।

xi हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड का हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान/अदायगी की गई है।

xii हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है; इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों, जहां लागू होते हैं, का अनुपालन किया गया है और इस प्रकार के लेनदेनों के विवरण को, लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार प्रकट किया गया है।

xiv हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार से प्राथमिकतापूर्वक आवंटन अथवा निजी नियुक्ति अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीयता नहीं की गई है।

xv हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशक अथवा उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकदीयुक्त लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक–ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अपने लेखा परीक्षण के साथ उस तारीख तक **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शक नोट के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जो कि कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक जानकारी के लिए अपेक्षित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध रूप में और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित दिशानिर्देश नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है तथा इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी लेखा परीक्षण की सुनिश्चित सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्टानुसार माना है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी लेखा परीक्षण पर लागू हैं, तथा ये दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और दिशानिर्देश नोट अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षण को नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित व उनका रखरखाव किया गया था तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वास्तविक आयामों के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ज्ञान को प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जहां एक वास्तविक क्षीणता स्थित है, और यह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्या विवरण के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी भी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी भी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो :

1 अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण सहित, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक रूप में और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2 उचित आश्वासन दें कि लेन–देन को सामान्यनता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने पर रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

3 अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों के निवारण को समय पर ज्ञात करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन अनुचित नियंत्रण होने की संभावना सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण वास्तविक मिथ्यकथन हो सकती हैं और जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन अथवा नीतियों के अनुपालन की मात्रा अथवा प्रक्रियाएँ निरूपित होने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

विचार

हमारे विचार से, कंपनी के सभी वास्तंविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से कार्यरत् रहे थे, यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश नोट में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आधारित था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

अनुलग्नक–ग

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143 (6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 24 जून, 2019 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की उचित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है:

लाभ और घाटे संबंधी विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन अनुसार (अप्रैल 2015), प्रारंभ की गई कैवर्नों संबंधी प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वहन किया जाना है। एचपीसीएल द्वारा भी विशाखापत्तनम में आरंभ की गई कैवर्न परियोजना के ओ एंड एम व्यय को आनुपातिक रूप से वहन करने पर सहमति व्यक्त की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में आरंभ की गई कैवर्न पर ₹78.21 करोड़ का व्यय किया गया। भारत सरकार/एचपीसीएल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल के लिए ₹58.95 करोड़ की राशि जारी की गई और शेष राशि ₹19.26 करोड़ की राशि को भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य दर्शाया गया है।

कंपनी द्वारा ₹19.26 करोड़ की राशि को बहियों में भारत सरकार / एचपीसीएल की ओर से प्राप्य राशि के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया था। ₹78.21 करोड़ के ओ एंड एम व्यय के व्यय किए जाने से संबंधित लेनदेनों और भारत सरकार / एचपीसीएल की ओर से ₹58.95 करोड़ की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को किसी प्रकार से लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) के साथ–साथ आईएसपीआरएल के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जिनके अनुसार किसी भी कंपनी द्वारा (i) प्राप्त और व्याय की गई सभी प्रकार की धनराशियां तथा वे मुद्दे जिनसे संबंधित प्राप्तियां और व्यय किए जाते हैं; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के सभी प्रकार के विक्रय एवं क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विचार करती लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है।

आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताः–
रूप राशि
वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा महानिदेशक
और पदेन सदस्य लेखा–परीक्षा बोर्ड– की ओर II, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांकः 20 अगस्त, 2019

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143 (6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 24 जून, 2019 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की उचित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है:

लेखा परीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणी
लाभ तथा हानि का विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन अनुसार (अप्रैल 2015), प्रारंभ की गई कंदराओं संबंधी प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वहन किया जाना है। एचपीसीएल, विशाखापट्टनम की चालू परियोजना के लिए ओ एंड एम खर्चों को आनुपातिक रूप से वहन करने के लिए सहमत हो गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में आरंभ की गई कैवर्नों पर ₹78.21 करोड़ का व्यय किया गया। भारत सरकार/एचपीसीएल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल के लिए ₹58.95 करोड़	यह नोट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित कुल प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय ₹78.21 करोड़ था, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (13) के अनुसार कंपनियों के लिए लागू लेखांकन व्यवस्थाा की उपचय प्रणाली के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसमें से ₹58.95 करोड़ पहले ही भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्त हो चुके हैं और ₹19.26 करोड़ की शेष राशि भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक खातों की टिप्पणी संख्या 8 के अनुसार वसूली योग्य/प्राप्य राशि के रूप में दर्शाई गई है।

लेखा परीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणी
की राशि जारी की गई और शेष राशि ₹19.26 करोड़ की राशि को भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा ₹19.26 करोड़ की राशि को बहियों में भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य राशि के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया था। ₹78.21 करोड़ के ओ एंड एम व्यय के व्यय किए जाने से संबंधित लेनदेनों और भारत सरकार /एचपीसीएल की ओर से ₹58.95 करोड़ की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को किसी प्रकार से लेखाबद्ध नहीं किया गया है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) के साथ–साथ आईएसपीआरएल के परिसंघीय समझौते का उल्लंघन है, जिसके लिए इन पर विचार करने के लिए लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है (i) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई सभी प्रकार की राशियां और वे सभी मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां एवं व्यय किया जाता है; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी प्रकार की बिक्रियां और क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां। आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।	इसलिए, उपयुक्त व्याख्याओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि ₹58.95 करोड़ की राशि की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप में लेखाबद्धता और चित्रण किया गया है। वर्तमान वितरण के अनुसार, ओ एंड एम व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से की जानी है। तथापि, एचपीसीएल ने आईएसपीआरएल और एचपीसीएल के बीच सहमति पद्धति के अनुसार विशाखापत्तनम परियोजना के संबंध में ओ एंड एम व्यय संबंधी अपनी पूर्ववर्ती हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति कर दी है। अतः आईएसपीआरएल का ओ एंड एम व्यय प्रकृति के अनुसार राजस्व तटस्थ है। इसलिए, आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2018–19 संबंधी वार्षिक लेखों की टिप्पणी संख्या 17 में, किए गए ओ एंड एम व्यय और उनकी प्रतिपूर्ति को दोनों तरफ प्रविष्टि मद के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों के संदर्भ में सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया है और निर्दिष्ट सीमा तक वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों को संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार, सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों पर की गई टिप्पणियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों में विधिवत अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक–घ

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.3.2019 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110001

हमनें **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा–परीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय लागू नहीं
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय लागू नहीं
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–
    (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर निषेध का प्रतिशेध) विनियम, 1992: लागू नहीं

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी के जारी करने हेतु, जरूरी प्रकटीकरण) विनियम, 2009 : लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 : लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, 1996:

(ञ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पंजीयक का निर्गम तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993:

(vi) अन्य लागू विधियां :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974; iii) तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948; iv) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से बोर्ड को की गई रिपोर्टिंग पर भी निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक, गैर–कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक का उचित संतुलन हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था तथा इस अवधि के दौरान श्री के. डी. त्रिपाठी (डीआईएन 07239755) 30/06/2018, श्री आशीष चटर्जी (डीआईएन 07688473) 14/11/2018, एवं श्री संजय सुधीर (डीआईएन 07396936) 21/02/2019 को सेवानिवृत्त हो चुके थे।

कंपनी के निदेशक मंडल में डॉ. एम.एम. कुट्टी (डीआईएन 06419718) 01/07/2018, श्रीमति किरन वासुदेवा (डीआईएन 06419718) 09/08/2018 एवं श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन 0764700) 14/11/2018 को नए निदेशक नियुक्त किए हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यक्रम की पर्याप्त सूचना विस्तृत कार्यसूची के साथ दी जाती है और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति और शेयरधारकों की बैठकों के रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हमनें पाया कि सभी निर्णयों को संबंधित बोर्ड/समिति और शेयरधारकों द्वारा बिना किसी विमत टिप्पणी के अनुमोदित किया गया था।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव होने वाले किसी कार्यक्रम/कार्रवाई को नहीं लिया है।

कृते एस एन अग्रवाल एण्ड कंपनी

हस्ता./–
(सत्य नारायण अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या : 443
(सीपी संख्या : 3581)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 24.04.2019

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखा–परीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

2. हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय एवं लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त, नहीं किया है।

3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदानुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

4. हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा–परीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते एस एन अग्रवाल एण्ड कंपनी

हस्ता./–
(सत्य नारायण अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या : 443
सीपी संख्या : 3581

स्थान : नोएडा
दिनांक : 24.04.2019

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. संशोधित आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
2. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।
9. मंगलौर स्थल हेतु 30.09.2022 तक प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
10. मंगलौर सुविधा हेतु 30.06.2021 तक वैध हेतु जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्रावों और वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उत्सवर्जनों के निपटान हेतु सहमति।
11. 26.04.2021 तक वैध मंगलौर में सुविधा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
12. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन और 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत दायर वार्षिक रिटर्न।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित ई–फॉर्म दाखिल किए हैं

क्रम संख्या	फार्म संख्या एसआरएन के साथ	फार्म भरने का उद्देश्य	भरने की तारीख
1	डीआईआर-12 एच48005730	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथि : श्री संजय सुधीर	23/03/2019
2	पीएएस-3 एच47483888	5,30,00,000 शेयरों का आवंटन	18/03/2019
3	एमजीटी-7 एच42821330	वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट	23/01/2019
4	एओसी-4 एक्सबीआरएल एच38114328	वित्त वर्ष 2017–18 की वित्तीय स्थिति का आरओसी के साथ दाखिल करना	29/12/2018
5	डीआईआर-12 एच35888882	निदेशकों का नियमितीकरणः श्री एम.एम कुट्टी, श्री डी.एन मिश्रा तथा श्रीमति किरन वासुदेवा	26/12/2018
6	डीआईआर-12 एच32887101	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथिः श्री आशीष चटर्जी निदेशक की नियुक्तिः श्री डी.एन. मिश्रा	13/12/2018
7	एमजीटी-14 एच32886079	आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्तिः मैसर्स सुनीता अग्रवाल एंड कंपनी	13/12/2018
8	एडीटी-1 एच32357501	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्तिः मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577)	11/12/2018
9	डीआईआर-12 एच14817050	निदेशक की नियुक्तिः श्रीमति किरन वासुदेवा	21/09/2018
10	जीएनएल-1 एच14404867	एजीएम के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए आरओसी के लिए आवेदन	19/09/2018
11	डीआईआर-12 एच00925727	निदेशक की नियुक्तिः श्री एम.एम. कुट्टी	16/08/2018
12	एमजीटी-14 एच00914788	वित्तीय विवरण की स्वीकृति वर्ष 2017–18 के लिए	16/08/2018
13	पीएएस-3 जी95734877	1,00,00,000 शेयरों का आवंटन	07/08/2018
14	डीआईआर-3 केवाईसी जी94604113	श्री एच.पी.एस आहुजा की निदेशक केवाईसी	31/07/2018
15	डीआईआर-12 जी94178233	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथि : श्री के.डी. त्रिपाठी	27/07/2018
16	डीआईआर-12 जी88890215	निदेशकों के कार्यकाल की अंतिम तिथिः श्रीमती संगीता गैरोला तथा श्री एस.बी. अग्निहोत्री	06/06/2018
17	पीएएस-3 जी88616313	43,10,000 शेयरों का आवंटन	02/06/2018

स्थान : नोएडा
दिनांक : 24.04.2019

वार्षिक लेखे

2018-19

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(I)	**परिसंपत्तियां**			
	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	3,35,244.59	1,77,796.75
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	42.57	1,55,373.12
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	7,100.95	4,450.00
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	3	559.62	610.34
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	210.67	136.03
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)		139.38	118.83
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	12,180.15	12,710.51
	उप जोड़		**3,55,477.93**	**3,51,195.58**
(II)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	8,909.57	1,967.85
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष राशि	7	41.47	179.31
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	1,948.78	2,381.21
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9	583.30	509.64
	उप जोड़		**11,483.12**	**5,038.01**
	कुल		**3,66,961.05**	**3,56,233.59**
(I)	**इक्विटी और देयताएं**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	3,74,837.47	3,68,106.47
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(23,321.65)	(16,595.39)
(II)	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		2,750.00	431.00
	उप जोड़		**3,54,265.82**	**3,51,942.08**
(III)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	अन्य वित्तीय देयताएं	12	170.45	19.68
	उप जोड़		**170.45**	**19.68**
(IV)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(ii) देय व्यापार	13	4,947.36	1,961.71
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	7,090.34	2,164.38
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	15	487.08	145.74
	उप जोड़		**12,524.78**	**4,271.83**
	कुल		**3,66,961.05**	**3,56,233.59**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-25
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)	(एच.पी.एस. आहुजा)
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : **08389048**	डीआईएन : **07793886**
हस्ता./–	हस्ता./–
(गौतम सेन)	(अरूण तलवार)
मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
ब्याज आय		119.91	21.98
अन्य आय	16	225.67	3.92
कुल आय		**345.58**	**25.90**
व्यय			
मूल्यह्रास		6,333.95	5,526.03
अन्य व्यय	17	728.31	496.54
कुल व्यय		7,062.26	6,022.57
कर पूर्व हानि		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
कर व्ययः			
वर्तमान कर		-	-
विलंबित कर		-	-
			-
वर्ष हेतु हानि		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (इसमें लाभ/(हानि) तथा वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय शामिल है)		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	17		
(i) मूलभूत		(0.18)	(0.17)
(ii) तनुकृत		(0.18)	(0.17)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-25
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां लाभ एवं हानि विवरण का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : **08389048**

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : **07793886**

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ	(6,716.68)	(5,996.67)
	समायोजन हेतु :		
	मूल्यह्रास	6,333.95	5,526.03
	ब्याज आय	(119.91)	(21.98)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**(502.64)**	**(492.62)**
	समायोजन हेतु :		
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,003.04	4,333.25
	देयताएं और प्रावधान में (वृद्धि)/कमी	8,384.45	(6,190.63)
	कार्यशील पूंजी में निवल (वृद्धि)/कमी	**9,387.49**	**(1,857.38)**
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**8,884.85**	**(2,350.00)**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान (नकद वापसी का निवल)	(20.55)	(11.78)
	प्रचालन क्रियाकलापों से कुल नकदी प्रवाह (क)	**8,864.30**	**(2,361.78)**
(ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों /सीडब्ल्यूआईपी की खरीद	(8,451.23)	(3,332.18)
	वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय	-	-
	अमुर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(2,650.95)	(4,450.00)
	प्राप्त ब्याज	119.91	21.98
	निवेश गतिविधियों मे उपयोग नकदी (ख)	**(10,982.27)**	**(7,760.20)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	शेयर पूंजी का निर्गत/शेयर आवेदन से प्राप्तियां	9,050.00	11,100.00
	अनुदान से प्राप्तियां	225.00	-
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	(205.73)	-
	शेयर पूंजी इश्यु पर स्टाम्प शुल्क	(9.58)	(11.25)
	लघु अवधि के लिए ऋण	-	(746.71)
	वित्त पोषण से कुल नकदी प्रवाह (ग)	**9,059.69**	**10,342.04**
(घ)	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**6,941.72**	**220.06**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	**(1,967.85)**	**(1,747.79)**
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**8,909.57**	**1,967.85**

हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : **08389048**

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : **07793886**

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी — लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	3,68,106.47	3,57,437.47
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	6,731.00	10,699.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**3,74,837.47**	**3,68,106.47**

ख. अन्य इक्विटी — लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में	(16,595.39)	(10,587.47)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी	(9.58)	(11.25)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शरूआत को शेष	**(23,321.65)**	**(16,595.39)**

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : **08389048**

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : **07793886**

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(क) भवन	9,544.41	8,239.07	558.47	18,341.95	1,486.26	355.68	(912.22)	929.72	17,412.23	8,058.15
(ख) सड़के तथा पुलिया	1,375.27	1,790.03	-	3,165.30	601.51	295.65	(11.85)	885.31	2,279.99	773.76
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38	57,325.63	(758.15)	1,26,759.86	5,397.69	3,561.14	550.27	9,509.10	1,17,250.76	64,794.69
(घ) कैवर्न	1,07,238.72	96,620.13	(514.65)	2,03,344.20	3,711.23	2,250.81	(18.09)	5,943.95	1,97,400.25	1,03,527.49
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.75	35.08	(513.85)	128.98	132.61	9.91	(107.47)	35.05	93.93	475.14
(च) परिवहन वाहन	61.92	69.49	-	131.41	16.68	9.77	-	26.45	104.96	45.24
(छ) कार्यालय उपकरण	278.13	26.36	120.43	424.92	155.11	77.68	14.91	247.70	177.22	123.02
(ज) कम्प्यूटर	432.47	430.50	353.25	1,216.22	433.21	231.77	25.99	690.97	525.25	(0.74)
कुल	**1,89,731.05**	**1,64,536.29**	**(754.50)**	**3,53,512.84**	**11,934.30**	**6,792.41**	**(458.46)**	**18,268.25**	**3,35,244.59**	**1,77,796.75**

विगत वर्ष

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2018 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2018 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
(क) भवन	9,544.41	-	-	9,544.41	827.39	658.87	-	1,486.26	8,058.15	8,717.02
(ख) सड़के तथा पुलिया	1,375.27	-	-	1,375.27	356.28	245.23	-	601.51	773.76	1,018.99
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38	-	-	70,192.38	2,897.60	2,500.09	-	5,397.69	64,794.69	67,294.78
(घ) कैवर्न	1,07,238.72	-	-	1,07,238.72	1,922.03	1,789.20	-	3,711.23	1,03,527.49	1,05,316.69
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.27	0.48	-	607.75	123.39	9.22	-	132.61	475.14	483.88
(च) परिवहन वाहन	61.92	-	-	61.92	9.33	7.35	-	16.68	45.24	52.59
(छ) कार्यालय उपकरण	224.60	53.53	-	278.13	85.58	69.53	-	155.11	123.02	139.02
(ज) कम्प्यूटर	421.16	11.31	-	432.47	186.67	246.54	-	433.21	(0.74)	234.49
कुल	**1,89,665.73**	**65.32**	**-**	**1,89,731.05**	**6,408.27**	**5,526.03**	**-**	**11,934.30**	**1,77,796.75**	**1,83,257.46**

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.1 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

लाख ₹ में

विवरण		31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
चरण–I – विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	- 42.57 -	- - -
	शेष बकाया	**42.57**	**-**
– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	1,55,373.12 9,221.65 (1,64,594.77)	1,50,106.27 5,266.85 -
	शेष बकाया	**-**	**1,55,373.12**
– मंगलौर कैवर्न परियोजना	प्रारंभिक शेष घटाएं : अमूर्त परिसंपित्तयों में स्थानांतरण (आरओयू)	- -	2,000.00 (2,000.00)
	शेष बकाया	**-**	**-**
कुल (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य)		**42.57**	**1,55,373.12**

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.2 : अमूर्त परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

अमूर्त संपत्ति (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक	4,450.00	-
वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण	2,650.95	4,450.00
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	**7,100.95**	**4,450.00**
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण	-	-
वर्ष के दौरान अमूर्तकरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
निवल खंड	**7,100.95**	**4,450.00**
नोटः पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।		

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 3 – ऋण

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
सुरक्षा जमा	559.62	610.34
कुल	**559.62**	**610.34**

टिप्पणी सं. 4 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
प्रवेश कर की मांग के प्रतिकूल अग्रिम	210.67	136.03
कुल	**210.67**	**136.03**

टिप्पणी सं. 5 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
(अप्रतिभूत अच्छे माने गए)		
आरओयू तथा अन्य आपूर्ति के प्रति अग्रिम	-	2.25
पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	12,180.15	12,708.26
कुल	**12,180.15**	**12,710.51**

टिप्पणी सं. 6 – नकदी और नकदी तुल्य

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
बैंक शेष :		
चालू खाते में	5,403.51	7.90
सवाधि जमा में (एक वर्ष के भीतर परिपक्वता)	3,505.86	1,959.95
नकद शेष :		
हस्तगत नकदी	0.20	0.00
कुल	**8,909.57**	**1,967.85**

टिप्पणी सं. 7 – बैंक राशि उपरोक्त के अलग

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
सवाधि जमा (बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के तहत) (एक वर्ष के भीतर परिपक्वता)	41.47	179.31
कुल	**41.47**	**179.31**

टिप्पणी सं. 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	लाख ₹ में	
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
भारत सरकार और/या एचपीसीएल से प्राप्त होने वाले ओ एण्ड एम व्यय	1,925.80	2,332.57
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	22.98	48.64
कुल	**1,948.78**	**2,381.21**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 9 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)		
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	0.33
शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रति अग्रिम	2.76	12.34
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	62.59	-
पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	517.95	493.11
अन्य	-	3.86
कुल	**583.30**	**509.64**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 10 – शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,83,25,60,000	3,83,256.00	3,83,25,60,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,74,83,74,670	3,74,837.47	3,68,10,64,670	3,68,106.47

टिप्पणियां

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलानः

	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
प्रारंभिक शेष	3,68,10,64,670		3,57,43,74,670	
जारी किए गए शेयर	6,73,10,000		10,66,90,000	
पुनः खरीद किए गए शेयर	-		-	
अंतिम शेष	3,74,83,74,670		3,68,10,64,670	

(ii) 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,74,83,74,670	100%	3,68,10,64,670	100%
कुल	**3,74,83,74,670**	**100%**	**3,68,10,64,670**	**100%**

(iii) इक्विटी शेयरों से युक्त शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य ₹ 10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) तुलन पत्र के अुनसार पिछले 5 वर्षों कर अवधि के लिए

(क) नकदी में भुगतान किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ग) शेयरों और शेयरों के वर्ग की कुल संख्या वापस खरीदी गई।	शून्य

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 11 – अन्य इक्विटी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
प्रतिधारित आय का शेष:		
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेनीत शेष	(16,595.39)	(10,587.47)
घटाएं : निर्गत शेयर पर स्टाम्प शुल्क	(9.58)	(11.25)
घटाएं : वर्ष हेतु हानि	(6,716.68)	(5,996.67)
घटाएं : निवल राशि फेस II	-	-
कुल	**(23,321.65)**	**(16,595.39)**

टिप्पणी सं. 12 – अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/प्रतिधारण राशि	170.45	19.68
कुल	**170.45**	**19.68**

टिप्पणी सं. 13 – देय व्यापार

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	157.81	-
(ii) देय प्रपत्र पूजींगत व्यय	2,258.14	716.20
(iii) अन्यों को देय	2,531.41	1,245.51
कुल	**4,947.36**	**1,961.71**

टिप्पणी सं. 14– अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(परिशोधित लागत पर)		
एडनोक को देय	6,758.11	-
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा	332.23	2,164.38
कुल	**7,090.34**	**2,164.38**

टिप्पणी सं. 15 – अन्य वर्तमान देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
सांविधिक देय	357.92	35.85
एचपीसीएल वाईजैग को देय	97.28	97.28
ओआईडीबी से अनुदान	19.27	-
अन्य	12.61	12.61
कुल	**487.08**	**145.74**

टिप्पणी सं. 16 – अन्य आय

लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
अन्य आय		
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (फेस II)	205.73	-
दंड प्रभार	-	1.43
परिसमापन क्षतिपूर्ति	11.98	2.49
आयकर रिफंड पर ब्याज	5.59	-
पूर्व अवधि समायोजन	2.37	-
कुल	**225.67**	**3.92**

टिप्पणी सं. 17 – अन्य व्यय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
ओएंडएम व्यय		
क) श्रमशक्ति व्यय (परियोजना स्थल)	2,844.63	1,341.42
ख) विद्युत व्यय	1,050.12	867.26
ग) बीमा व्यय	1,593.00	923.61
घ) उपभोग व्यय	377.53	185.38
ङ) मंगलौर विशेष आर्थिक क्षेत्र ओएंडएम खर्च	458.20	-
च) अन्य व्यय	1,497.84	1,007.84
कुल	7,821.32	4,325.51
घटाएं :– भारत सरकार तथा एचपीसीएल से प्राप्त	7,821.32	4,325.51
निवल ओ एडं एम व्यय	-	-
पट्टे का किराया (पट्टे की भूमि)	522.58	493.11
फेस II का डीएफआर व्यय	205.73	-
कार्यालय व्यय	-	3.43
कुल	**728.31**	**496.54**

टिप्पणी सं. 18 – भारतीय लेखांकन मानक – 33 के अंतर्गत ईपीएस का प्रकटीकरण

लाख ₹ में

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रति शेयर अर्जन		
(i)	**आधारभूत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,69,73,26,615	3,62,40,14,232
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.18)	(0.17)
(ii)	**तनुकृत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत हेतु	3,72,48,26,616	3,62,83,24,232
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.18)	(0.17)

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 19 – प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिताएं

19.1 पट्टे

प्रचालन पट्टा – पट्टाधारी के रूप में

(i) संबंधित पट्टा अनुबंधों में बताए गए अनुसार पट्टा किरायों को लाभ एवं हानि विवरण को और अधिकतम बाध्यताओं को देय दीर्घावधि गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों पर प्रभारित किया जाता है।

लाख ₹ में

(ii) गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों हेतु पट्टा किराया

	31–मार्च–2019	31–मार्च–2018
अवधि के दौरान मान्यता प्रदान किए गए पट्टा किराए	55.84	49.90
भावी पट्टा दायित्वों		
– एक वर्ष के भीतर	44.85	44.85
– एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	179.41	179.41
– पांच वर्ष से अधिक	1,538.62	1,583.47

19.2 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)

विवरण

(क) आकस्किम देयताएं

कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है मूल्य ₹99955.39 लाख (2018: ₹102853.95 लाख) की तुलना में

क) आयकर की विवादित मांग ₹489.56 लाख (2018: ₹475.41 लाख)
ख) खान और प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांग ₹11794.95 लाख (2018: ₹11794.95 लाख)
ग) ₹86,997 लाख के लिए ठेकेदारों द्वारा विवादित दावे लाख (2018: ₹86997 लाख) विभिन्न साइटों पर किए गए परियोजनाओं के कारण ईआईएल द्वारा अस्वीकार कर दिया है, जिसके लिए मामलें मध्यस्थों के साथ लंबित हैं
घ) एमएसईजेड द्वारा आरओयू के उपयोग के लिए विवादित दावे। ₹शून्य लाख (2018: ₹2700 लाख)
ङ) सीएसटी प्रतिपूर्ति और ग्रीन बेल्ट की विवादित मांग ₹611 लाख (2018: ₹611 लाख)
च) प्रवेश कर की विवादित मांग ₹275.77 लाख (2018: ₹276 लाख)
च) ओएडंएम गलियारे का देय शुल्क एमएसईजेड को ₹208.82 लाख (2018: ₹शून्य)
च) आईटीबीपी की सुरक्षा सेवाओ के लिए वाईजेग में मांग ₹2583 लाख (2018: ₹शून्य)

(ख) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमनित राशि ₹119.2 लाख (2018: ₹7369लाख) जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 20 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण

संबंधित पक्षों के ब्यौरेः

संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों का नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री एच.पी.एस. आहुजा, सीईओ एवं एमडी (2) श्री गौतम सेन, सीएफओ, (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव **निदेशक मंडल (पद के अनुसार)** श्री के.डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष (30.06.2018 तक) श्री एम.एम.कुट्टी, अध्यक्ष (18.07.2018 से) श्री राजीव बंसल, निदेशक श्री संजय सुधीर, निदेशक (21.02.2019 तक) श्री आशीष चटर्जी, निदेशक (14.11.2018 तक) श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (14.11.2018 से) श्रीमती किरन वासुदेवा, निदेशक (31.08.2018 से)

निम्नलिखित लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ किये गये थेः

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	**केएमपी पारिश्रमिक (संबंधित मूल कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट के आधार पर)**		
	सीईओ एवं एमडी	71.26	61.71
	सीएफओ	70.79	35.60
	सीएस	50.54	41.63
	कुल	**192.59**	**138.94**
(ii)	**नियंत्रक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	शेयरों का आवंटन/शेयर आवेदन राशि	9,050.00	11,100
	ऋण भुगतान	-	162.48
	ओआईडीबी के व्यय की प्रतिपूर्ति	50.54	33.85
	फेस II के खर्चो के लिए अनुदान	225.00	-
	कुल	**9,325.54**	**11,296.33**
(iii)	**स्वतंत्र निदेशक की बैठक शुल्क**	-	4.14
	कुल योग (i) + (ii)+(iii)	**9,743.13**	**11,439.41**

संबंधित पार्टियों के साथ बकाया राशि

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	**नियंत्रक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	शेयर आवेदन लंबित आबंटन	2,750.00	431.00
	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	22.77	-
	कुल	**2,772.77**	**431.00**

	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड **वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां** **टिप्पणी सं. 21 – खंड रिपोर्टिंग**
1.	कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।
2.	भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।
	टिप्पणी सं. 22 – वित्तीय उपकरणों
	श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणों
1.	प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है।
2.	वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के।
3.	उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

टिप्पणी सं. 23 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

1. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रिया–कलाप इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाते हैं : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा चल निधि जोखिम। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाना और इसके वित्तीय निष्पादन पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है। कंपनी का प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी / नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते है।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लिखत किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3. ऋण जोखिम

ग्राहक के ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक देयों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

चल निधि जोखिम

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2019 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4–7 वर्ष	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	4,947.36	-	-	-	4,947.36
अन्य वित्तीय देयताएं	7,090.34	170.45	-	-	7,260.79
कुल	**12,037.70**	**170.45**	**-**	**-**	**12,208.15**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2018 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4–7 वर्ष	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	1,961.71	-	-	-	1,961.71
अन्य वित्तीय देयताएं	2,164.38	19.68	-	-	2,184.06
कुल	**4,126.09**	**19.68**	**-**	**-**	**4,145.77**

टिप्पणी सं. 24 पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित शामिल होते हैं। कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है।

31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 25 – अन्य टिप्पणियां

25 अन्य टिप्पणियां

(i) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रथम चरण के तहत सभी तीनों कैवर्नों से संबंधित प्रमुख निर्माण गतिविधियाँ हुई हैं जिनका कार्य संपन्न हो गया है। 15.12.2018 को पादुर में यह सुविधा आरंभ कर दिया गया है।

(ii) सामरिक प्रयोजन के लिए विशाखापट्टनम कैवर्न ए और मैंगलौर कैवर्न बी में संप्रभु क्रूड ऑयल भंडारण को भरा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा इसके प्रचालन के लिए किया जाता है और इसमें रखा गया क्रूड पूर्णतया एचपीसीएल की संपत्ति है, मैंगलोर स्थित कैवर्न ए को एडनॉक के साथ हुए समझौते के तहत कच्चे तेल के साथ नियत किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान क्रूड ऑयल को एडनॉक द्वारा भंडारण हेतु भर दिया गया है। पादुर कैवर्न को आरंभ करने के कार्य को संपन्न करने के लिए 6,23,633 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को मंगलौर कैवर्न बी से पादुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। कच्चे तेल से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं।

विवरण	कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख ₹ में)
दिनांक 31 मार्च, 2019 तक संचित कुल मात्रा (लैडिंग बिल के अनुसार) – जीओआई कच्चा तेल	1,972,229.01	480,942.43
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार धारित कुल मात्रा – जीओआई कच्चा तेल	1,947,211.00	-
एडीएनओसी कच्चा तेल	755,577.00	-
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार धारित कुल मात्रा – एडीएनओसी कच्चा तेल	728,846.84	-

(iii) दिनांक 31.03.2019 को प्राप्त हुए कच्चे तेल की मात्रा और स्टॉक में अंतर बेकार माल / आरंभन क्षति है और बोर्ड की राय में स्वीकार्य सीमा के भीतर होना है।

वर्ष के दौरान रोड शो कार्यक्रम का आयोजन, चंडीखोल (4 एमएमटी) तथा पादुर में द्वितीय चरण (2.5 एमएमटी), कैवर्न का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ पीपीपी मॉडल के तहत पादुर में कैवर्न में कच्चे तेल को भरने के लिए किया गया था। 31/03/2019 तक द्वितीय चरण का कुल व्यय – ₹205.73 लाख (रोड शो कार्यक्रम सहित) है जिसका ₹225 लाख व्यय द्वितीय चरण के लिए ओआईडीबी द्वारा ग्रांट के रूप में स्वीकृत किया गया है।

(iv) मैंगलोर में द्वितीय खंड के लिए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, 1,20,000 अमरीकी बैरल (15831 मीट्रिक टन) का भुगतान एडनॉक को डेड स्टॉक हानि/कमीशनिंग हानि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। वही अनुमानित रूप से 7000 लाख रुपए है। इस राशि को भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया गया है, परंतु अभी तक एडनॉक के लंबित दावों के लिए उन्हें संवितरित किया जाना है। इसे अन्य वित्तीय देनदारियों के रूप में समूहीकृत किया गया है।

(v) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक, कंपनी का दिन के दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से लिए गए 16 कर्मियों द्वारा संभाला जाता है और उनके अवकाश वेतन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की उनकी मूल कंपनियों की ओर से प्राप्त दावे पर आनुपातिक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। कंपनी के पास प्रोबेशन पर केवल एक कर्मचारी है। कर्मचारियों के भत्तों और अनुलाभ की नीतियां निर्माणाधीन हैं।

(vi) अन्य कंपनियों जिनमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य है की ओर से राशि प्राप्त किए जाने योग्य मूल्य हेतु नकद अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम शून्य रुपए है (पिछले वर्ष – शून्य रुपए)।

(vii) कंपनी ने चालू पूंजीगत कार्यों से अर्जित ब्याज के लिए शून्य रुपए (पिछले वर्ष ₹87.07 लाख) को समायोजित किया है।

(viii) मैंगलोर एवं पादुर से चट्टानों की खुदाई कर स्थलों पर रखा गया है। उसके मूल्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसे और जब भी किसी भी प्राप्ति से इनके निपटान किए जाते हैं, उन्हें उपयुक्त रूप से लेखाबद्ध किया जाएगा।

(ix) वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ओ एंड एम व्ययों के लेखों पर ₹7821.32 लाख का व्यय किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार तथा / अथवा एचपीसीएल द्वारा किया गया है। इसमें से ₹5199.92 लाख की राशि को वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और शेष ₹2621.4 लाख की राशि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार / एचपीसीएल की ओर लंबित है।

(x)	<u>विलंबित कर</u> कर योग्य आय आय के अभाव में आयकर के किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राप्य इस प्रकार के आस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
(xi)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) के रूप में ₹157.81 लाख तक निर्धारित किया गया था इस प्रकार के पक्षकारों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।
(xii)	विक्रेताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं की ओर देय / वसूली योग्य राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xiii)	सभी उपभोग्य सामग्रियों / भण्डारणों / कलपुर्जों को खरीद के समय ओ एंड एम व्यय में बुक किया जाता है।
(xiv)	मैंगलोर एसईजेड से चट्टानों को हटाने पर रॉयल्टी का भुगतान को एमएसईजेडएल / इन्हें हटाने के लिए नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है।
(xv)	आईटीबीपी द्वारा इन स्थलों की उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा से संबंधित राशि को दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ₹2583 लाख तक मांग को बढ़ा दिया है। कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण लंबित है। खातों में इसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, परन्तु इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।
(xvi)	जैसा कि लेखा परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए व्यय से संबंधित लाभ और हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के तहत आवश्यक है (कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में दिए अनुसार) और अन्य मदें इस प्रकार हैं:

	वित्तीय वर्ष 2018–19 (लाख रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (लाख रुपए में)
<u>संवैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
तुरंत देय व्यय	0.10	0.09
<u>आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	0.48	0.52
अन्य सेवाएं	शून्य	0.03
<u>सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा – परीक्षण शुल्क	0.25	0.36

(xvii)	कंपनी द्वारा पादुर में 179.2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें से पादुर में 176.11 एकड़ भूमि को आईएसपीआरएल के नाम से पंजीकृत किया गया है, पादुर में शेष 3.09 एकड़ भूमि अभी कंपनी के नाम पर पंजीकृत होना शेष है।
(xviii)	तुलन पत्र के अनुसार आज की स्थिति के अनुसार आवंटन के लिए लंबित शेयरों को 4 मई, 2018 को आवंटित कर दिया गया है।
(xix)	पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के अनुरूप पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है, जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के लिए यह आवश्यक है।
(xx)	दिनांक 24.06.2019 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. कारपोरेट सूचना

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा सरकारी कंपनी अधिवासित और भारत में अधिनिगमित है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भारत सरकार के खनिज तेल के संप्रभुत्व वाले भंडारों या भारत सरकार द्वारा तय ऐसे किसी अन्य निकाय के खनिज तेल का भंडारण, जो निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन हैः
   - केवर्नों से महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को निकालना तथा इनका पुनः भराव सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा।
   - बशर्ते भारत सरकार के महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को गुणवत्ता आवश्यकता अथवा मरम्मत तथा रखरखाव के कारण खनिज तेल के परिचालन हेतु भी निकाला जा सकता है।
2. भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफ रिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों के व्यापार को करना है।

1क : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित इंड एएस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इनका अनुपालन करते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलू हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये गए हैं और सभी मूल्यों को केवल निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा निर्दिष्ट किए हुए के।

1.2 राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

1.3 संपति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

ii. अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर प्राप्त किया जाता है।

iii. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

i. मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसका उपयोगी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

ii. पृथक रूप से ₹5,000/– तक की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

iii. अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

1.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii. विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

iii. मौद्रिक संपत्ति एवं विदेशी मुद्राओं के देनदारियों को नियति तारीख पर विनिमय की कार्यात्क मुद्राओं के समापन दर पर लेनदेन किया जाता है।

iv. गैर–मौद्रिक वस्तु जो विदेश में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में लाया जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v. परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में मतभेदों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–घाटा विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1.7 वित्तीय लिखत

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(iii) वि–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरिक कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते है।

वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है। जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या यह समाप्त हो जाती है।

1.8 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है।

1.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में एक व्यवस्थिति आधार पर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होगी जिसमें इकाई को संबंधित लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का दावा रखता है।

1.10 पट्टे

i. **प्रचालन पट्टे पर परिसंपत्तियां** – पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां, जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में सभी जोखिम तथा प्रतिफल पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को संबंधित पट्टा व्यवस्थाओं के निबंधनों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ii. **वित्तीय पट्टे पर परिसंपत्तियां** – वित्तीय पट्टों को पट्टे के प्रारंभ होने पर पट्टे पर ली गई संपत्ति के प्रारंभिक तिथि के उचित मूल्य अथवा, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कटौती के मध्य विनियोजित किया जाता है ताकि देयता की शेष अवधि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्तीय प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों में वित्त प्रभार के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे अर्हक परिसंपत्तियों को सीधे आरोप्य न हो, और ऐसे मामले में उन्हें इंड एएस–23 के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

1.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्य देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिरप्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

1.12 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

1ख : जारी मानक जो अभी भी प्रभावी नहीं हैं

कॉरपोरेट मामला मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना में मौजूदा इंड एस के संदर्भ में इंड एस – 116 पट्टे व अन्य संशोधनों को अधिसूचित किया गया। इन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी के लिए लागू किया गया।

उपर्युक्त मानक और संशोधनों के अनुप्रयोग द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों का किसी प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होना अपेक्षित नहीं है।

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधान कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नौएडा–201 301, उ. प्र.
पंजीकृति कार्यालय : 301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India
Head Office: OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector-73, Noida, Uttar Pradesh-201301
Registered Office: 301, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001